21.1.2021	वकील पक्षकारान उपस्थित। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली के फैसला मुताबिक होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:02:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीनः– अधिकारी देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

आर.सी.एम.एस
2018/00119

तारीख रजू
02.07.2018

मु0नं0
11/18

1. रामजीलाल पुत्र मोहरसिंह आयु 42 साल जाति गुर्जर निवासी देवरी तहसील मासलपुर जिला करौली।

–वादी

बनाम

1. भूरी पुत्र मोहरसिंह आयु 46 साल जाति गुर्जर निवासी देवरी तहसील मासलपुर जिला करौली।
2. सोभरण पुत्र प्यारे आयु 45 जाति गुर्जर निवासी देवरी तहसील मासलपुर जिला करौली
3. श्रीमति महादेवी वेवा पत्नि हुकम सिंह आयु 60 साल जाति गुर्जर निवासी देवरी तहसील मासलपुर जिला करौली।
4. बैंक आफ बडौदा शाखा मासलपुर जिला करौली।
5. सब रजिस्ट्रार उप पंजीयन कार्यालय मासलपुर
6. तहसीलदार तहसील मासलपुर लैण्ड हौल्डर।

प्रतिवादीगण

दावा घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरस्ती स्थाई निषेधाज्ञा

:निर्णयः

दिनांकः 22.1.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादी न01 के पिता मोहर सिंह ताउ प्यारे व काका हुकम सिंह के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बअर 84,85,104,106,221,223,228,241,261,279 कुल किता 10 रकवा 20 वीधा 01 विस्वा ग्राम देवरी पटवार हल्का पिपरानी तहसील मासलपुर में स्थित है जो संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमें वादी व प्रतिवादी न01 का हिस्सा 1/3 में 1/2 हो जिसको संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है किन्तु प्रतिवादी न01 भूरी वादी का बडा भाई है जिसने रेवेन्यु कर्मचारियों से मिल कर पिता मोहर सिंह के फौत होने के वाद उक्त आराजी हिस्सा 1/3 का खाता उपने नाम रेवेन्यु रिकार्ड में दर्ज करा लिया है पिता मोहर सिंह के पिता वादी व प्रतिवादी न01 दो पैदाइशी पुत्र है दोनों सगे भाई है वादी वाहर ड्राईवरी करता है घर पर पत्नि श्रीमति मीरा रहती है वही ... काश्त करती चली आ रही है। दिनांक 15.07.2015 कोक वदी की पत्नि श्रीमति ... जमीन के 1/6 हिस्सा को वुवाने गये तो प्रतिवादी न01 लाठी लेकर ... जमीन को वोने में रूकावट डाली और प्रतिवादी के कुछ ... जमीन ... खाता मेरे नाम करा लिया है तुम्हारा जमीन में कोई हक हिस्सा नही है ... जमावन्दी की नकल निकलवाई तव

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:02.17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मालूम पडा कि प्रतिवादी न01 ने वादी के पिता के हिस्से की सम्पूर्ण जमीन का खाता अपने नाम करा लिया तव वादी ने सम्बत 2015 की नकल जमाबन्दी निकलवाई तव यह दावा पेश किया है। वादी भूमि के 1/6 हिस्से की खातेदारी धोषणा कराने एवं प्रतिवादी को स्थायी किये निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का मुस्तहक है। उक्त में दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया।

प्रतिवादी न01 ने जरिये वकील उपस्थित होकर जवाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादगस्त आराजीयात से वादी का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से के मुताविक काविज है। वादी का प्रतिवादी न01 के पिता से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। मोहरसिंह की मृत्यु के एक साल उपरान्त वादी की माँ किसी अन्य व्यक्ति के साथ गांव से चली गयी और 10–12 साल वाद गांव वापिस आयी तव से ही गांव के लोगो ने वादी की माँ को वहिस्कार कर दिया था वादी ने दावा में अपनी आयु 42 साल दर्ज की है जवकि प्रतिवादी न01 के पिता की मृत्यु को 48 साल से अधिक का समय हो गया है प्रतिवादी नावलिग का प्रतिवादी के पिता की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादी न01 के नाम नामान्तरकरण सही तरहकी जाँच कर खोला गया है तव से ही प्रतिवादीगण काविज काश्त है। वादी का उक्त आराजीयान पर कभी भी कब्जा नही रहा है तो वादी की पत्नि को काश्त से रोकने का प्रश्न ही पैदा नही होता है वादी ने गलत रूप से अपवने का प्रतिवादी न01 का पुत्र होने का कथन किया है। वादी कोई धोषणा खातेदारी कराने का एवं प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। उक्त में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादी न02 के विरूद्व दिनांक 19.02.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये है प्रतिवादी न03 का नाम दिनांक 08.11.2016 को हजफ किया गया है। प्रतिवादी न05 व 6 ने जबाव दावा प्रस्तुत नही किया है।

वादी व प्रतिवादी न01 के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाधक बिन्दू विरपित किये गये है।

1. आया विवादित आराज़ी खसरा नम्बर 84,85,104,106,221,223,228,241,261,279, कुल किता 10 कुल रकवा 20 वीधा 01 विस्वा ग्राम देवरी तहसील मासलपुर वादी व प्रतिवादी न01 के पिता मोहर सिंह व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी न0 2 के 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी न03 के 1/3 हिस्सा खातेदारी व उसने काश्त की है वादी अपने 1/6 हिस्से की खातेदारी धोषणा कराने का अधिकारी नही है।
2. आया विवादित आराज़ी वादी के 1/6 हिस्से खातेदारी व काश्त की संयुक्त वादी प्रतिवादी न01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।
3. आया वादी मृतक मोहरसिंह का पुत्र नही है वादीको दावा दायर करने का हक नही है।
4. अनुतोष वाद विवाधक बिन्दु वादी साक्ष्य ली वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी रामजीलाल का शपथ पत्र पेश किया एवं दस्तावेज सवूत में नकल सम्बत 2015व सम्बत 2070–73 प्रस्तुत की है साक्ष्य वादी समाप्त की गया। प्रतिवादी न01 ने अपनी साक्ष्य में स्वंय प्रतिवादी न01 का शपथ पत्र पत्र प्रस्तुत किया है। दिनांक 18.06.2019 को वादी व प्रतिवादी न01 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया है जो शामिल पत्रावली किया गया है।

वहस वकील एक पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वहस में वकील उभयपक्ष का कथन है कि मुताविक राजीनामा दावा वादी डिक्री किया जावें। वैंक रहन इन्द्राज यथावत रखा जावे। वैंक ऋणस वसूली हेतु स्व...

वहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। ... रिकार्ड व साक्ष्य राजीनामा का अवलोकन किया गया। पत्रावली ... प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत 2015 में वाद ग्रस्त आराजीयान का 1/3 हिस्सा वादी व प्रतिवादी न01 के पिता मोहर सिंह पुत्र अंगद गुर्जर के नाम दर्ज है। प्रस्तुत राजीनामा व साक्ष्य वादी व प्रतिवादी मौखिक से वादी व प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:02:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न01 का मोहर सिंह का पुत्र होना उभयपक्ष द्वारा स्वीकृत है। जिसे वाद गस्त आराजी में वादी का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी न01 का 1/6 हिस्सा संयुक्त होना व मृतक मोहर सिंह के पुत्र होने से वारिस होना प्रतीत होता है। दावा ड्रिकी किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी मुताविक राजीनामा ड्रिकी किया जाता है। वादी रामजीलाल पुत्र मोहर सिंह को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 84,85,104,106,221,223,228,241,261,279 कुल किता 10 कुल रकवा 20 वीधा 01 विस्वा ग्राम देवरी पटवार हल्का पिपरानी तहसील मासलपुर के 1/6 हिस्से का व प्रतिवादी न01 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष राजस्व इन्द्राज व बैंक इन्द्राज रहन व बदस्तूर रहेगे। प्रतिवादी न04 ऋण राशि वादगस्त भूमि से वसूल करने को स्वतत्र रहेगा। वादी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अपने हक में खातेदारी इन्द्राज अमल कराने का अधिकारी है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। तदानुसार पर्चा ड्रिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.02.16 12:02:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner